भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2480
15.12.2025 को उत्तर के लिए

डामर संयंत्र द्वारा प्रदूषण

2480. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मालेगांव में मालेगांव चालीसगांव रोड पर मैसर्स सुंदर माधव कंस्ट्रक्शन चिकालोहोल शिवार, जो डामर का उत्पादन करता है और धुआं व दुर्गंध फैला रहा है, जिससे आस-पास के वातावरण में गंभीर वायु प्रदूषण हो रहा है, के संबंध में की गई शिकायतों का संज्ञान लिया है यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए जांच शुरू की है, यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और संयंत्र को बंद करने का विचार है;

(घ) क्या पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना संचालित होने और प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे अन्य संयंत्रों की जानकारी सामने आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव तालुका में स्थित मैसर्स सुंदर माधव कंस्ट्रक्शन के संबंध में की गई शिकायतों का संज्ञान लिया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा दिनांक 29.05.2025 को इस इकाई का निरीक्षण किया गया था और अनुपालन न होने के आधार पर, दिनांक 28.11.2025 को इस इकाई को बंद करने का निर्देश जारी किया गया था।

एमपीसीबी नियमित रूप से पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, राज्य बोर्ड ने 1,149 गैर-सहमति वाली इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी करने की कार्रवाई शुरू की है, जिनकी

आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) या सहमति/प्राधिकरण के बिना काम करने वाली इकाई के रूप में पहचान की गई थी या जिनके बारे में यह पाया गया था कि वे प्रदूषण फैला रहे थे।

सरकार अनुपालन न करने की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, अनेक प्रकार की कार्रवाई करती है, जिसमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1)(ख) और वायु अधिनियम, 1981 के तहत एसपीसीबी/पीसीसी को नियमित निर्देश जारी करना शामिल है। इसके अलावा, एमपीसीबी ने राज्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं:

- औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण और औचक निरीक्षण
- अनुपालन न करने की स्थिति में सुधारों के लिए निर्देश जारी करना
- पर्यावरणीय मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर दिशानिर्देशों, परिपत्रों और प्रवर्तन तंत्र का परिचालन करना।

****